न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 09 / 2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. कलाराम चौधरी पुत्र अगराराम जाति जाट निवासी राजीव नगर, सिणधरी चौराहा, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर (मैसर्स बजरंग डिपार्टमेंटल स्टोर, महावीर नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर फर्म का मालिक)
2. सरस्वतीदेवी पत्नी कांतिलाल जाति महेश्वरी निवासी राय कॉलोनी, बाड़मेर (सोल प्रोपराईटर ऑफ मैसर्स राणामल कांतिलाल एंड कंपनी कल्याणपुरा बाड़मेर राजस्थान)
3. नरसिंगाराम पुत्र मोतीराम निवासी खत्रियों का वास बालेसर जोधपुर (सोल प्रोपराईटर ऑफ मैसर्स खत्रीजी स्वीट्स, न्यू सुपर मार्केट बालेसर जोधपुर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री गौरव खत्री, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:00 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 06.04.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स बजरंग डिपार्टमेंटल स्टोर, महावीर नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **14.02.2019** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500 ग्राम)** जो कि एक कार्टून में अलग-अलग मात्रा में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट (500-500 ग्राम) **अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-1016** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **अचार (मिक्स पिकल) ब्राण्ड खत्रीजी (500 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को परिवाद का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 मे उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 विहित प्रावधानों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:20 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अनुरूप नहीं होना पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया । अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं किन्तु बहस के दौरान प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा के निर्धारित सम्पूर्ण मानकों पर गुणवतापूर्ण पाया गया है किन्तु पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियमों का ज्ञान नहीं था एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं की जावेगी। यद्यपि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना असुरक्षित अथवा अवमानक नहीं पाया गया है किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में कोई ठोस प्रतिरक्षण नहीं लिया गया है तथा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 30,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:00 IST
Reason: SelfAttested